

अध्याय—1

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम

12वाँ वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियों में सभी राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम बनाने की अनिवार्यता रखी है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को प्रख्यापित किया गया। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है एवं तदनुसार राजकोषीय घाटा तथा ऋण दायित्व के संशोधित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा—3 के अनुक्रम में राज्य सरकार को विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रस्तुत करना है। इस मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ त्रिवर्षीय चल लक्ष्य उपर्याप्त किये जायेंगे। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं लोक ऋण के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम राज्य सरकार से निम्न अपेक्षायें करता है:—

- 1— 01 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों में राजस्व घाटा शून्य करेगी।
- 2— वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स0रा0घ0उ0) के 3.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 में 3 प्रतिशत से अधिक रखेगी।
- 3— 01 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि में सुनिश्चित करेगी कि कुल प्राक्कलित ऋण दायित्व प्राक्कलित स0रा0घ0उ0 के सापेक्ष क्रमशः 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत 38.50 प्रतिशत और 37.20 प्रतिशत से अधिक न हो।
- 4— राज्य सरकार उपरोक्त लक्ष्यों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो कम से कम प्रत्येक छ: माह में एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी।

आर्थिक परिदृश्य

उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत नये आधार वर्ष 2004–2005 को अपनाते हुये अनुमानित किये गये हैं जो कि परिशिष्ठा—1 में अवलोकनीय है। उत्तराखण्ड गठन

के पश्चात् राज्य की अर्थव्यवस्था के घटकों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है जिसको कि निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।


**तालिका 1 : राज्य गठन के पश्चात् राज्य की अर्थ व्यवस्था के घटकों में
परिवर्तन
(स्थिर मूल्यों पर)**

अर्थव्यवस्था के घटक	2004-05	2010-11 अग्रिम अनुमान	2010-11 में 2004-05 के सापेक्ष परिवर्तन
प्राथमिक क्षेत्र	23.71	14.99	-8.72
द्वितीयक क्षेत्र	25.76	31.46	5.70
तृतीयक क्षेत्र	50.53	53.55	3.02

तालिका-1 को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें वन, कृषि, मत्स्य तथा खनन समिलित है, का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 2004-05 में 23.71 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 14.99 प्रतिशत हो गया है वही दूसरी ओर द्वितीयक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति है के योगदान में काफी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। यह वर्ष 2004-05 में 25.76 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 31.46 प्रतिशत हो गया है। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में भी बढ़ोत्तरी हुई है। यह वर्ष 2004-05 में 50.53 प्रतिशत था तथा वर्ष 2010-11 में यह बढ़कर 53.55 प्रतिशत होने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के घटकों में यह परिवर्तन राज्य की अर्थव्यवस्था में हुए विकास से जुड़ा हुआ है तथा विकास की दिशा को दर्शाता है।

निःसन्देह राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार एवं वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था की इस वृद्धि का बनाये रखने के लिए राज्य को अवस्थापना सुविधा पर विशेष ध्यान रखना होगा। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहा है तथा इस क्षेत्र (द्वितीयक क्षेत्र) में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जो कि स्वस्थ आर्थिक विकास का द्योतक ह।

ग्राफ 1— राज्य गठन के पश्चात् राज्य की अर्थ व्यवस्था के घटकों में परिवर्तन




राज्य की अर्थव्यवस्था में आयी वृद्धि के लिए राज्य द्वारा दिये गये औद्योगिक पैकेज का भी विशेष योगदान है जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा यह 26.96 प्रतिशत से बढ़कर 33.63 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर को भविष्य में भी बनाये रखना होगा। यदि राज्य द्वारा उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं प्रदान की जाती है तो सकल घरेलू उत्पाद की इस उच्च वृद्धि को बनाये रखा जा सकता है। इस दिशा में राज्य द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं तथा सड़कों, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹०८०० अरब सहायतित योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं सिंचाई क्षमता वृद्धि की परियोजनाएं भी राज्य द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रमुख शहरों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है तथा रोड़ नटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति हो इसके लिए भी राज्य द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

राज्य की आय अथवा घरलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वमान्य मापदण्ड है। उत्तराखण्ड राज्य सृजन के पूर्व वर्ष 1994–95 से 1999–2000 तक की अवधि में उत्तराखण्ड में विकास की औसत दर अपेक्षाकृत काफी कम तथा अस्थिर रही है जबकि राज्य सृजन के उपरान्त वर्ष 2000–01 से 2010–11 की अवधि में विकास की औसत दर अपेक्षाकृत अच्छी रही है। सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा वृद्धि दर परिशिष्ट 1 से 8 में दिये गये हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्षावार

2004–05 से 2007–08 के वास्तविक अनुमान, 2008–09 के अन्तरिम अनुमान, 2009–10 के त्वरित अनुमान व 2010–11 के अग्रिम अनुमान दर्शाय गए हैं। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008–09 में वैशिक आर्थिक मन्दी तथा भारत की अर्थव्यवस्था में मन्दी के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण वर्ष 2008–09 में स0रा0घ0उ0 की वृद्धि दर स्थिर भावों पर मात्र 7.61 प्रतिशत रही जबकि पूर्व के वर्षों में यह वृद्धि दहाई के अंकों में रही तथा वर्ष 2007–08 में यह वृद्धि दर 18.19 प्रतिशत थी। वर्ष 2009–10 में राज्य की अर्थव्यवस्था में पुनः उछाल आया तथा इसके पुनः दहाई के अंकों में (11.30 प्रतिशत) होने का अनुमान है।

प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय स्थिर मूल्यों पर भी निरन्तर बढ़ रही है जो कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति का घोतक हैः—

ग्राफ 2— उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय



स्रोतः— राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय : आर्थिक समीक्षा 2010–11 भा0 सा0

उत्तराखण्ड प्रति व्यक्ति आय : अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

2008–09 अन.अ., 2009–10 त्व.अ., 2010–11 अ.अ.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से राज्य की प्रति व्यक्ति आय में उत्तरोत्तर इजाफा होता जा रहा है तथा इसका राष्ट्रीय आय से अन्तर उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से अधिक है, जो कि अच्छी आर्थिक प्रगति का घोतक है।

वर्ष 2008–09 में राज्य की अर्थ व्यवस्था का प्रारम्भ पूर्व के वर्षों की भाँति अच्छी वृद्धि दर से प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2008–09 में वैशिक आर्थिक मन्दी उत्पन्न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008–09 के उत्तराद्वे में विकास की गति मंद रही। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक राज्य की राजकोषीय स्थिति में संतोषजनक प्रगति हुई तथा राज्य गठन

के पश्चात पहली बार राज्य वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष में रहा। यही स्थिति वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के अनुमानों की भी रही। वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित लक्ष्य पर रखने की परिकल्पना की गई थी, परन्तु हालिया वैश्विक आर्थिक मंदी तथा भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एफ0आर0बी0एम0 एकट के राजकोषीय लक्ष्यों में अस्थायी विचलन आ रहा है। भारत ने वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं तथा यह अनुमान है कि भारत एवं राज्यों की अर्थ व्यवस्था में पुनः उच्च वृद्धि दर प्राप्त होने की सम्भावना है व उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मध्यकालिक पुनः संरचना नीति निरूपणों में निहित पूर्व अनुमान

1- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स0रा0घ0उ0): वर्ष 2004–05 को आधार मानते हुए स0 रा0घ0 उ0 की नयी श्रंखला को लेकर वर्ष 2010–11 के अग्रिम अनुमान लिये गये हैं तथा इसी अनुमान पर तेंहरवें वित्त आयोग द्वारा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए संस्तुत स0 रा0 घ0 उ0 के वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए आगामी वर्षों के लिये राज्य का स0 रा0घ0 उ0 आगांति किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2011–12 के लिये 12.30 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के लिये 12.60 प्रतिशत वृद्धि दर इंगित की गई है।

वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए प्राप्ति एवं व्यय की विभिन्न मदों के पूर्वानुमान लिये गये हैं।

2—राज्य का स्वयं का कर राजस्व:— मध्यकालिक अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर 16 प्रतिशत अनुमानित की गयी है।

3—राज्य का करेत्तर राजस्व : करेत्तर राजस्व की मद में उत्तर प्रदेश से पेंशन की मद में वर्ष 2012–13 व 2013–14 में ₹500 करोड़ की प्राप्ति ली गयी है इसके अतिरक्त उक्त धनराशि को छोड़ते हुए करेत्तर राजस्व में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गयी है।

4—केन्द्रीय करों में राज्य का अंश: वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान पर लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि दर लेते हुए 2012–13 से 2014–15 तक के पूर्वानुमान निर्धारित किये गये हैं।

5— केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान:— केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान में आयोजनागत अनुदान की मद में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गई है तथा आयोजनेत्तर पक्ष की मद में 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति ली गयी है।

5—राजस्व व्यय : राजस्व व्यय की मद में वर्ष 2012–13 में 10 प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 8.5 प्रतिशत व वर्ष 2012–15 में 10 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है।

6—वेतन : राज्य कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए वेतन में होने वाले व्यय में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि अनुमानित की गयी है।

7—पेंशन : पेंशन में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गयी है।

8—ब्याज : ब्याज पर होने वाले व्यय की गणना राज्य के ऋणकोष पर औसत ब्याज दर लगभग 8 प्रतिशत मानते हुए की गयी है।

8—पूँजीगत परिव्यय:— पूँजीगत परिव्यय सरकार का निवेश व्यय तथा भौतिक आस्तियों के निर्माण एवं उनके मूल्य संर्वधन पर होने वाला व्यय है। पूँजीगत परिव्यय में अगले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत व 15 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गयी है।

13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2012–13 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य स0रा0घ0उ0 का 3.5 प्रतिशत रखा है जबकि वर्ष 2013–14 के लिए यह लक्ष्य घटाकर 3 प्रतिशत रखा है। राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत लाने पर राज्य की ऋण सीमा में भी परिवर्तन होगा जिसके फलस्वरूप राज्यों को वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में कम ऋण उपलब्ध होगा।

चूंकि राज्य के वचनबद्ध व्यय में पहले से ही कम वृद्धि ली गयी है अतः व्यय में कभी करन के लिए पूँजीगत व्यय में कटौती/कम वृद्धि लेनी होगी जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013–14 में पूँजीगत परिव्यय में गत वर्ष में 10 प्रतिशत के सापेक्ष केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गयी है।

9—ऋण एवं अग्रिम:— राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में उपलब्धता के आधार पर व्यय किया गया है।

10—ऋणों का प्रतिदान :— ऋणों के प्रतिदान के अनुमान वास्तविक प्रतिदान दायित्व के आधार पर निर्धारित किये गये हैं।

राजकोषीय परिदृश्य एवं मध्यकालिक राजकोषीय प्रारूप

राज्य के गठन के पश्चात् राज्य की वित्तीय स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव रहा है, निम्न तालिका से राज्य की वर्ष 2001–02 से 2010–11 तक की वित्तीय स्थिति की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं:—

तालिका 2 :वित्तीय स्थिति की प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत)

मद	राजस्व घाटा/राजस्व प्राप्ति	राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	वेतन+पेंशन +ब्याज/राजस्व प्राप्ति	वेतन+पेंशन/स्वयं का राजस्व	ब्याज/राजस्व प्राप्ति
2001–02	3.65	23.49	66.07	123.36	18.37
2002–03	14.21	51.45	73.05	128.99	17.18
2003–04	21.15	54.11	69.03	118.28	16.58
2004–05	23.26	43.76	70.4	103.44	19.96
2005–06	1.34	3.94	57.2	96.91	14.58
2006–07	-12.16	-101.2	44.47	73.23	13.08
2007–08	-8.07	36.53	53.11	90.84	13.89
2008–09	-2.77	-12.98	62.14	111.59	13.75
2009–10	12.35	42.08	80.4	145.93	15.93
2010–11 पुनर्रेक्षित	-4.26	-28.03	59.57	117.98	11.45
2011–12 बजट अनुमान	-2.11	-11.81	60.79	110.59	12.38

राजकोषीय सुधार पथ—

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्राविधान तथा 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपना राजकोषीय सुधार पथ तैयार किया गया था। इसके अन्तर्गत वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जाना था तथा सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक लाना है। परन्तु वैशिक मंदी के प्रभावों के कारण एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाते हुए क्रमशः 3.5 तथा 4 प्रतिशत करने की सहमति दी गई। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य के लिए राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के पूर्वानुमान निर्धारित किये गये थे। 13वें वित्त आयोग द्वारा भी वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम की अनिवार्यता रखी ह

तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटे को शून्य करने तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक करने को कहा गया है।

मध्यकालिक राजकोषीय प्रारूप परिशिष्ट–5 तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में परिशिष्ट–6 संलग्न है। इस प्रारूप में उत्तराँचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में दिए गए लक्ष्यों को अगले 3 वर्षों में वार्षिक लक्ष्यों में अपघटित किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति में राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय की तुलना में अधिक वृद्धि दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतनेत्तर संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में वृद्धि, प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण तथा गैर–मेरिट सब्सिडी पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है।

इस प्रकार राजकोषीय सुधार की रणनीति के दो मुख्य घटक हैं— राज्य के स्वयं के राजस्व में अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण एवं पूँजी निवेश में वृद्धि एवं संचालन तथा अनुरक्षण व्यय में वृद्धि के माध्यम से लाक व्यय की संरचना में सुधार। उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्यय का संरक्षण एवं उसमें वृद्धि लोक व्यय की सरचना में सुधार की रणनीति का अनिवार्य अंग है ताकि लोक व्यय विकासोन्मुखी हो सके।


निम्नांकित तालिका 3 में वर्ष 2004–05 से वर्ष 2014–15 तक के अनुमान तथा प्रक्षेपित अनुमान दिए गए हैं। ग्राफ 3 में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। यह राजकोषीय सुधार कार्यक्रम राज्य की अर्थ व्यवस्था में विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर आधारित है।

तालिका—3: राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के प्रवृत्ति एवं पूर्वानुमान

(धनराशि करोड़ ₹ में)


	2004–05 वार्षिक	2005–06 वार्षिक	2006–07 वार्षिक	2007–08 वार्षिक	2008–09 वार्षिक	2009–10 वार्षिक	2010–11 पुनरीक्षित	2011–12 आय–व्ययक	2012–13 प्रक्षेपित	2013–14 प्रक्षेपित	2014–15 प्रक्षेपित
राजस्व घाटा (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशत)	950.14	73.95	-896.38	-636.53	-239.53	1171.34	-568.57	-309.29	-222.09	-463.86	-945.41
	(3.83)	0.25	-2.43	-1.38	-0.45	1.85	-0.78	-0.38	-0.24	-0.44	-0.8
सकल राजकोषीय घाटा (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशत)	2171.42	1878.23	885.77	1742.39	1844.96	2783.31	2028.14	2618.24	335.69	3125.42	3189.01
	8.75	6.28	2.40	3.78	3.47	4.39	2.77	3.18	3.49	2.99	2.71

ग्राफ 3— राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति



राजस्व लेखा— राज्य के राजस्व लेखे में राज्य के गठन के बाद प्राप्तियों तथा भुगतान के मद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2001–02 में ₹894.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में लगभग ₹4759.74 करोड़ अनुमानित है। इसी प्रकार राज्य का करेत्तर राजस्व वर्ष 2001–02 में ₹162.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹1647.11 करोड़ अनुमानित है। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि भी वर्ष 2001–02 में ₹1676.14 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹8228.14 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹14634.99 करोड़ अनुमानित है तथा कुल राजस्व व्यय लगभग ₹14325.70 करोड़ अनुमानित है:—


ग्राफ 4— राजस्व लेखे की प्रवृत्तियाँ



उपरोक्त ग्राफ से राज्य की राजस्व आय एवं प्रमुख राजस्व व्यय की मदों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं।

राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का अधिकांश भाग वेतन, पेशन तथा व्याज में व्यय होता है जो राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2001–02 में 66.07 प्रतिशत, वर्ष 2002–03 में 73.05 प्रतिशत, वर्ष 2003–04 में 69.03 प्रतिशत, वर्ष 2004–05 में 70.40 प्रतिशत वर्ष 2005–06 में 57.20 प्रतिशत, वर्ष 2006–07 में 44.47 प्रतिशत, वर्ष 2007–08 में 53.11 प्रतिशत, वर्ष 2008–09 में 62.14 प्रतिशत, वर्ष 2009–10 में 80.40 प्रतिशत है एवं वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों में 59.57 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में 60.79 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2008–09 के बाद के वर्षों में इस मद में वृद्धि मुख्यतया छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप वेतन एवं पेशन की मद में पुनरीक्षित वेतनमान तथा एरियर भुगतान दिए जाने के कारण हैः—

ग्राफ 5—राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ



राजस्व घाटा—राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2002–03 में ₹0 457.26 करोड़, वर्ष 2003–04 में ₹761.34 करोड़, वर्ष 2004–05 में ₹950.14 करोड़, वर्ष 2005–06 में ₹73.95 करोड़, वर्ष 2006–07 में ₹896.38 करोड़ अधिशेष, वर्ष 2007–08 में ₹636.53 करोड़ अधिशेष, वर्ष 2008–09 में ₹239.53 करोड़ का राजस्व अधिशेष आ रहा है। वर्ष 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजस्व घाटा ₹1171.34 करोड़ रहा ह। वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों में पुनः ₹568.57 करोड़ का अधिशेष

अनुमानित है तथा वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में ₹309.29 करोड़ का अधिशेष अनुमानित है। वर्ष 2012–13 और इसके बाद के वर्षों में भी राजस्व अधिशेष होना अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा— राजकोषीय घाटा वर्ष 2002–03 में ₹888.82 करोड़, वर्ष 2003–04 में ₹1407.14 करोड़, वर्ष 2004–05 में ₹2171.42 करोड़, वर्ष 2005–06 में ₹1878.23 करोड़, वर्ष 2006–07 में ₹885.77 करोड़, वर्ष 2007–08 में ₹1742.40 करोड़, वर्ष 2008–09 में ₹1844.96 करोड़, वर्ष 2009–10 में ₹2783.31 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों में ₹2028.14 करोड़ होना अनुमानित है। राजकोषीय घाटे को वर्ष 2008–09 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु वैशिक आर्थिक मंदी उत्पन्न होने के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका वर्ष 2008–09 में यह 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.47 प्रतिशत होना अनुमानित है तथा वर्ष 2009–10 में यह 4.39 प्रतिशत पर आ गया है। वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों में राजकोषीय घाटा ₹2028.14 करोड़ होना अनुमानित है जो कि स0रा0घ0उ0 का 2.77 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुमानों में ₹2618.24 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो स0रा0घ0उ0 का 3.18 प्रतिशत है। आगे के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य है। राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा अनुपात राज्य की शुद्ध ऋण प्राप्तियों के उस अंश को इंगित करता है जिसका प्रयोग राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु किया जाता है। राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा अनुपात वर्ष 2011–12 में लगभग 11.81 प्रतिशत ऋणात्मक होने और उसके बाद के वर्षों में भी ऋणात्मक का अनुमान है।


पूँजीगत परिव्यय— निम्नांकित तालिका 4 में पूँजीगत परिव्यय में पिछले वर्षों के पूँजीगत परिव्यय का विवरण दिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। पूँजीगत परिव्यय/राजकोषीय घाटा अनुपात ऋण प्राप्तियों के उस अंश को इंगित करता है जिसका उपयोग पूँजीगत आस्तियों के सृजन पर किया जाता है।

तालिका 4: पूँजीगत परिव्यय की प्रवृत्तियाँ

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11 पुनरीक्षित	2011–12 आय–व्यय
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ ₹ में)	308.65	338.84	533.31	1127.36	1705.43	1699.26	2234.82	2016.30	2136.74	2200.34	3094.58
पूँजीगत परिव्यय/कुल व्यय	8.31	5.66	8.06	15.62	21.54	18.49	21.31	17.44	15.05	13.01	15.98
पूँजीगत परिव्यय/राजकोषीय घाटा(प्रतिशत)	72.76	38.12	37.9	51.52	90.8	191.84	128.26	109.29	76.77	108.49	118.19


राज्य की ऋण ग्रस्तता—राज्य के गठन के समय ही काफी बड़ी धनराशि ऋण के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है। इसके उपरान्त भी राज्य की ऋण ग्रस्तता में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–2002 में जहाँ राज्य की ऋण ग्रस्तता ₹4430.04 करोड़ थी वह 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों में बढ़कर ₹19438.06 करोड़ होना अनुमानित है। ग्राफ–6 में राज्य का राजकोषीय घाटा तथा ऋण ग्रस्तता के वर्ष 2001–02 से वर्ष 2009–10 तक के वास्तविक आंकड़े, वर्ष 2010–11 का पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुमान तथा वर्ष 2014–15 तक के पूर्वानुमान दिये गये हैं।

ग्राफ 6— राजकोषीय घाटा एवं ऋणग्रस्तता की प्रवृत्ति



ग्राफ–7 में राज्य का राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ऋण ग्रस्तता /सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा के वर्ष 2009–10 तक के वास्तविक आंकड़े तथा वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2014–15 तक के पूर्वानुमान दिये गये हैं:—

**ग्राफ 7— सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा व
ऋणग्रस्तता की प्रवृत्ति**



वित्तीय वर्ष 2009–10 के राजकोषीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2009–10 में मूल आय–व्ययक अनुमान में प्रदर्शित राजस्व अधिशेष ₹213.44 करोड़ था जो वास्तविक आँकड़ों के अनुसार ₹1171.34 करोड़ ऋणात्मक रहा। इसी प्रकार मूल आय–व्ययक अनुमान में प्रदर्शित राजकोषीय घाटा ₹1747.15 करोड़ के सापेक्ष ₹2783.31 करोड़ वास्तविक आँकड़ों के अनुसार रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के स्वयं का कर राजस्व जो ₹3528.90 करोड़ अनुमानित था के सापेक्ष ₹3559.11 करोड़ वास्तविक प्राप्तियाँ रही, इसी प्रकार राज्य के करेतर राजस्व के अनुमानित प्राप्तियाँ ₹1428.69 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ ₹631.86 करोड़ रही हैं।